

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 अक्टूबर 2013—आश्विन 12, शक 1935

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, मैट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2013

क्र. 2545-वि.नि.आ.-2013.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (क्र. 2003 का 36) की धारा 91 की उप धारा (1) और उप धारा (2) तथा धारा (1) के साथ पठित धारा 181 की उप धारा (1) तथा उप धारा (2) के खण्ड (य ज), (य ट) तथा (य ठ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग अपने कार्यों के सम्पादन एवं कार्यवाही के संचालन हेतु दिनांक 30 जुलाई 2004 को अधिसूचित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2004 में निम्न संशोधन प्रस्तावित करता है :—

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2004 में द्वितीय संशोधन

1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रयोज्यता की सीमा तथा प्रारंभ.—1.1 ये विनियम “मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2004 में द्वितीय संशोधन [एजी-10 (ii), वर्ष 2013] कहलायेंगे.

1.2 इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा.

1.3 ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा.

2. मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2004 में संशोधन.—(i) विनियम 3 में, उप-विनियम (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(6) आयोग, प्रकरणों की सुनवाई हेतु मुख्यालय पर या किसी अन्य स्थान पर, आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले दिन एवं समय पर अपनी बैठकें रख सकेगा।”

(ii) विनियम 20 में, उप-विनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(1) आयोग के सदस्य, जिन्होंने प्रकरण की सुनवाई की है, याचिका पर आदेश पारित करेंगे।”

आयोग के आदेशानुसार,
पी. के. चतुर्वेदी, आयोग सचिव.

Bhopal, the 30th September, 2013

No. 2545-MPERC-2013.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (z j), (z k) and (z l) of sub-section (2) of Section 181 read with sub-section (1) and (2) of Section 91 and sub-section (1) of Section 92 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Commission, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2004, which was notified on 30th July 2004.

**Second amendment to Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission
(Conduct of Business) Regulations, 2004**

1. **Short title and commencement.**— 1.1 These Regulations shall be called the "Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2004 (Second Amendment) [AG-10 (ii) of 2013].

1.2 These Regulations shall extend to whole of the State of Madhya Pradesh.

1.3 These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Gazette of the Government of Madhya Pradesh.

2. **Amendment to MPERC (Conduct of Business) Regulations, 2004.**—(i) In regulation 3, for sub-regulation (6), the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

“(6) The Commission may hold sittings for hearing matters at the headquarters or at any other place on days and time to be specified by the Commission.”

(ii) In regulation 20, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

“(1) The members of the Commission, who heard the matter shall pass an order on the petition.”

By order of the Commission,
P.K. CHATURVEDI, Commission Secy.